Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XII, Issue No. 23, October-2016, ISSN 2230-7540

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्तर पर स्व-सहायता समूह का प्रभाव - एक अध्ययन (मण्डला एवं बालाघाट जिले के विशेष सन्दर्भ में)

Dr. Aruna Kusumakar*

Principal, Economics, Government Sanskrit College, Indore

----------X----------

प्रस्तावना –

स्व–रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–सहायता समूह का गठन किया गया। स्व–सहायता समूह में यह लक्ष्य रखा गया कि देश की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। भारत में स्व–सहायता समूह का प्रारम्भ 1992 में नाबार्ड ने एक योजना के अन्तर्गत की, लेकिन वास्तविक रूप में आने में काफी समय लगा। ग्रामीण भारत में महिला स्व–सहायता समूह ने हजारों, लाखों अशिक्षित, गरीब वर्ग की महिलाओं को न केवल घर की चौखट के बंधन से मुक्त कर बाहर निकाला है वरन् उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। स्व–सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक उन्नति का सशक्त माध्यम बन रहे हैं।

अध्ययन के उद्देश्य –

- स्व–सहायता समूह योजना का अध्ययन करना।
- ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्तर पर स्व–सहायता समूह के प्रभाव को ज्ञात करना।
- उचित क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन विधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति मूलतः सर्वेक्षण, अवलोकन एवं साक्षात्कार पर आधारित है। अध्ययन बालाघाट एवं मण्डला जिले में चयनित ग्रामीण महिला स्व–सहायता समूहों पर आधारित है। उद्देश्यों के अनुसार निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु प्रतिशत विधि के आधार पर विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है।

विश्लेषण –

स्व–सहायता समूह ग्राम या नगर के व्यक्तियों के छोटे–छोटे समूह होते है जिसके माध्यम से एक जैसी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के लोग अपनी समस्याएँ परस्पर सहयोग से हल करने का प्रयास करते हैं। स्व–सहायता समूहों में ग्रामीण अपनी इच्छा से संगठित होते है तथा अपनी थोड़ी–थोड़ी बचत कर, सामूहिक निधि में जमा करते हैं। स्व–सहायता समूह द्वारा इस राशि का उपयोग सदस्यों की आकस्मिक जरूरतों जैसे बीमारी के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं स्व–रोजगार के लिए किया जाता है। स्व–सहायता समूह के द्वारा विशेषकर ग्रामीण महिलाओं में छोटी–छोटी बचत करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, गरीबों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना, ग्रामीणों को महाजन, साहूकारों, सेठ व अन्य सम्पन्न वर्ग के चंगुल से मुक्त कराना, आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना तथा सामुदायिक भावना को विकसित करने का कार्य किया जाता है।

स्व–सहायता समूह के निश्चित नियम होते हैं। समूह के सदस्य समूह के नाम एक बचत खाता बैंक में खुलवाते हैं एवं आपस में आन्तरिक ऋणेां का लेन–देन निश्चित प्रक्रिया के अन्तर्गत करते है। स्व–सहायता समूह योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार करना है। वास्तव में स्व–सहायता समूह महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह है जो अपनी बचत तथा बैंक के सूक्ष्म वित्त से अपने समूह की पारिवारिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है।

- **समूह में सम्मिलित होने के पूर्व वित्त व्यवस्था की स्थिति –**

ग्रामीण महिलाओं के पास आर्थिक उपार्जन के साधन पूर्व से ही सीमित हैं कृषि कार्य, मजदूरी, पारम्परिक व्यवसाय, जमीदार के घर घरेलू कार्य कर ग्रामीण महिलाये आय अर्जन करती हैं। इस सबसे उनकी आर्थिक आवश्यकतायें पूरी होना असंभव है। वे अपनी इन आर्थिक व्यवस्थाओं के लिये साहूकारों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर एवं अन्य साधनों द्वारा आर्थिक व्यवस्था करती है। समूह में सम्मिलित होने के पूर्व महिलाओं द्वारा आर्थिक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में जो अभिमत प्राप्त हुये उनके आधार पर तालिका का निर्माण किया गया जो इस प्रकार है –

www.ignited.in

समूह के पूर्व वित्त व्यवस्था की स्थिति

क्रं.	स्थिति	मण्डला		बालाघाट		योग	प्रतिशत
		आमानाला	बर्राटोला	वारासिवनी	लालबर्रा		
1	पड़ोस से उधार लेकर	50 (10)	50 (10)	40 (8)	30 (6)	170	(8.5)
2	सेठ साहूकारों से उधार लेकर	350 (70)	350 (70)	410 (82)	430 (86)	1540	(77)
3	स्वयं की बचत से	100 (20)	100 (20)	50 (10)	40 (8)	290	(14.5)
कुल योग		500 (100)	500 (100)	500 (100)	500 (100)	2000	(100)

स्रोत – सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि सेठ तथा साहूकारों द्वारा वित्त व्यवस्था का प्रतिशत सबसे अधिक है जो कि 77 प्रतिशत है। महिलायें साहूकारों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करती थीं, जबकि 8.5 प्रतिशत महिलायें पड़ोस से उधार लेकर वित्त की व्यवस्था करती थीं तथा 14.5 प्रतिशत महिलायें स्वयं की बचत के माध्यम से वित्त की व्यवस्था करती थी, क्षेत्रवार प्रतिशत की स्थिति देखने पर स्पष्ट होता है कि आमानाला तथा बर्राटोला में महिलाएँ वित्त की व्यवस्था के लिये क्रमश 10–10 प्रतिशत पड़ोसियों से उधार लेती थी, वारासिवनी तथा लालबर्रा में महिलायें क्रमश 8 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत लेती थी। आमानाला तथा बर्राटोला की 70 प्रतिशत महिलायें साहूकारें द्वारा ऋण प्राप्त किया करती थीं जबकि वारासिवनी तथा लालबर्रा में प्रतिशत क्रमशः 82 तथा 86 प्रतिशत था। स्वयं बचत की स्थिति देखने पर स्पष्ट होता है कि आमानाला तथा बर्राटोला की 20 प्रतिशत महिलायें स्वयं की बचत के द्वारा वित्त की आपूर्ति कर लेती थीं जबकि वारासिवनी तथा लालबर्रा में क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत महिलायें वित्त की व्यवस्था अपनी स्वयं की बचत से कर पाती थीं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्व–सहायता समूह से जुड़ने के पूर्व महिलाओं को वित्त व्यवस्था के लिए सबसे अधिक सेठ–साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था जो कि उनका शोषण भी करते थे।

समूह में जुड़ने के पश्चात आय में वृद्धि की स्थिति –

स्व–सहायता समूह गठन के पश्चात बचत बैंक प्रक्रिया आवर्ति निधि (रिवाल्विंग फंड) ऋण एवं अनुपात प्राप्त कर समूह अपनी आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर आय में वृद्धि करते हैं। स्व–सहायता समूह योजना का आधार आर्थिक गतिविधियाँ है तथा समूह इन गतिविधियों से आय प्राप्त करते हैं इस सम्बंध में जो अभिमत प्राप्त हुए है उनके आधार पर तालिका का निर्माण किया गया है –

आय में वृद्धि की स्थिति

क्रं.	स्थिति	मण्डला		बालाघाट		योग	प्रतिशत
		आमानाला	बर्राटोला	वारासिवनी	लालबर्रा		
1	हाँ	350 (70)	380 (76)	340 (68)	380 (76)	1450	(72.5)
2	नहीं	150 (30)	120 (24)	160 (32)	120 (24)	550	(27.5)
कुल योग		500 (100)	500 (100)	500 (100)	500 (100)	2000	(100)

स्रोत – सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्व–सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद 72.5 प्रतिशत महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है जबकि 27.5 प्रतिशत महिलाओं की आय में कोई वृद्धि नही हुई है। इन महिलाओं से ज्ञात हुआ कि आय में वृद्धि न होने का मुख्य कारण इनकी निष्क्रियता रही। मण्डला जिले के आमानाला एवं बर्राटोला में क्रमशः 70 एवं 76 प्रतिशत महिलाओं की आय में वृद्धि दर्ज की गई जबकि बालाघाट के वारासिवनी एवं लालबर्रा में क्रमशः 68 एवं 76 प्रतिशत आय में बढ़ोत्तरी आंकी गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि समूह में सक्रियता से सहभागिता करने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है तथा महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाने में सक्षम हुई हैं।

समूह में जुड़ने के पश्चात साहूकारों के शोषण से मुक्ति–

महिलायें खेतों में कार्य करके घर में आजीविका संबंधी कार्य करके, उद्योग संबंधी कार्य करके, परिवार की आर्थिक सहायता करती हैं। बैंक ऋण तक पहुँच कठिन होने के कारण ग्रामीण महिलाएँ सेठ साहूकारों से ऊँची ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर परिवार की अर्थिक सहायता करती हैं परन्तु समूह में सम्मिलित होने के पश्चात महिलाओं की ऋण तक पहुँच आसान हो रही है वे स्व–सहायता समूह के माध्यम से बैंक तक आसानी से पहुँच बना चुकी हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाएँ साहूकारों के शोषण से मुक्त हो रही हैं इस संबंध में जो अभिमत प्राप्त हुये हैं उनके आधार पर तालिका का निर्माण किया गया है जो निम्नानुसार है–

समूह में जुड़ने के पश्चात साहूकारों के शोषण से मुक्ति की स्थिति

क्र.	स्थिति	मण्डला		बालाघाट		योग	प्रतिशत
		आमानाला	बर्राटोला	वारासिवनी	लालबर्रा		
1	हॉ	350(70)	380 (76)	340 (68)	380(76)	1450	(72.5)
2	नहीं	150(30)	120(24)	160(32)	120(24)	550	(27.5)
	कुल योग	500(100)	500(100)	500(100)	500(100)	2000	(100)

स्रोत – सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट है कि स्व–सहायता समूह में जुड़ने के पश्चात महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। सर्वेक्षित मण्डला एवं बालाघाट के आमानाला, बर्राटोला एवं बालाघाट के वारासिवनी एवं लालबर्रा विकास खण्डों में क्रमशः 70, 76, 68 एवं 76 प्रतिशत साहूकारों के शोषण में कमी आई है जबकि क्रमशः 30, 24, 32 एवं 24 प्रतिशत शोषण में कोई कमी नहीं आई है।

चूँकि बालाघाट में तुलनात्मक रूप से शिक्षा का स्तर अधिक है। अतः वारासिवनी एवं लालबर्रा में तुलनात्मक रूप से महिलाएँ साहूकारों के शोषण से अधिक मुक्त हुई हैं।

समूह की महिलाओं की आर्थिक विकास की स्थिति –

स्व–सहायता समूह को महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से जोड़कर देखा जाता है। वर्तमान में महिलाएं घरेलू आय अर्जन के लिए समूह से जुड़कर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता कर रही हैं। सामूहिक रूप से कार्य करके, समूह को कुशलता से संचालित कर अपने आर्थिक स्तर को ऊँचा उठा रही हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर तालिका का निर्माण किया गया है जो इस प्रकार है–

महिलाओं की आर्थिक विकास की स्थिति

क्रं.	स्थिति	मण्डला		बालाघाट		योग	प्रतिशत
		आमानाला	बर्राटोला	वारासिवनी	लालबर्रा		
1	हाँ	350 (70)	340 (68)	370 (74)	380 (76)	1440	(72)
2	नहीं	150 (30)	160 (32)	130 (26)	120 (24)	560	(28)
कुल योग		500 (100)	500 (100)	500 (100)	500 (100)	2000	(100)

स्रोत – सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि 72 प्रतिशत स्वरोजगारी महिलायें मानती हैं कि समूह से जुड़ने पर उनका आर्थिक विकास हुआ है जबकि 28 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि उनका आर्थिक विकास नही हो पा रहा है। क्षेत्रवार स्थिति देखने पर स्पष्ट है कि आमानाला तथा बर्राटोला क्षेत्र में क्रमशः 70 तथा 68 प्रतिशत है एवं वारासिवनी तथा लालबर्रा में 74 तथा 76 प्रतिशत महिला स्वरोजगारी मानती हैं कि समूह में जुड़ने के पश्चात उनका आर्थिक विकास हुआ है।

इस प्रकार स्पष्ट है स्व–सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं ने आर्थिक क्षेत्रों में विकास कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है।

स्व–सहायता समूह के उचित क्रियान्वयन हेतु सुझाव इस प्रकार है –

- स्व–सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा व क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है।
- रोजगार प्रधान एवं अभिमुखी शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए।
- स्व–सहायता समूह योजना एवं विभिन्न सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा विस्तृत एंव पूर्ण जानकारी ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाना चाहिए।
- बैंक ऋण की प्रक्रिया को सरलतम किया जाना चाहिए।
- समूह में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय हेतु स्थाई बाजार की व्यवस्था करना चाहिए।
- ग्रामीण महिलाओं के संकोच और उदासीनता को दूर कर रूढ़िवादी सोच एवं परम्पराओं को बदलने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबंध कौशल, प्रशिक्षण एवं महिला उद्यम विकास कार्यक्रम यथार्थ में क्रियान्वित किए जाने चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाना चाहिए।
- ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए परामर्श सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सरस मेले, जिला स्व–रोजगार मेले की आवृत्ति में वृद्धि की जाना चाहिए।

निष्कर्ष –

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने, उन्हें जीविकोपार्जन साधन एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, उनमें बचत एवं निवेश के लाभों की समझ विकसित करने तथा उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में स्व–सहायता समूह का महत्वपूर्ण योगदान है। अध्ययन से स्पष्ट है कि स्व–सहायता समूह योजना की ग्रामीण महिला सदस्याओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है।

ग्रामीण महिलाओं की प्रगति एक सफर है, मंजिल नहीं। अतः ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु इस योजना को अधिक सशक्त बनाकर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्तर में सुधार कर स्वस्थ समाज एंव सुदृढ राष्ट्र की कल्पना साकार होगी।

सन्दर्भ सूची

राठौर, मधु (2008). पंचायती राज व महिला विकास, पाईंटर पब्लिकेशन, जयपुर

डॉ. विप्लव (2013). महिला सशक्तिकरण विविध आयाम, राहुल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ

स्व–सहायता समूह गठन प्रशिक्षण मार्गदर्शिका, अनुपमा एजुकेशन सोसायटी, भरहुत नगर, सतना, 2004

स्व–सहायता समूह व्यावहारिक, मार्गदर्शिका, राजकीय प्रकाशन, म. प्र. ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल म.प्र.

वेद प्रकाश (2006). ''स्व–सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच'', कुरूक्षेत्र प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्प्लेन्स, नई दिल्ली।

www.gdrc.org/icm/nanda-/html

www.shg.in

Corresponding Author

Dr. Aruna Kusumakar*

Principal, Economics, Government Sanskrit College, Indore

E-Mail – kusumakar_aruna@rediffmail.com